भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1245

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

एनएपीएस के अंतर्गत एमएसएमई

1245. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार और उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है और बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई द्वारा प्रोत्साहन उपयोग की दर क्या है;

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत कितने प्रशिक्षु नियुक्त किए गए हैं और कितने व्यक्तियों ने अपनी प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद तीन माह के भीतर वर्ष-वार, राज्य-वार और सामाजिक-श्रेणी-वार कितने प्रशिक्षुओं ने नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षुओं को प्राप्त होने वाली औसत वृत्तिका राशि के संबंध में आंकड़े संकलित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनएपीएस में एमएसएमई की भागीदारी में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं और आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त, 2016 में 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना' (एनएपीएस) शुरू की गई थी। 2022-23 से, यह योजना एनएपीएस-2 के रूप में जारी है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू की गई है। यह योजना शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियोजित शिक्षुओं को आंशिक वजीफा की सहायता प्रदान करके, शिक्षुता इकोसिस्टम का क्षमता निर्माण संबंधी कार्य करके और हितधारकों को परामर्श सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु, भुगतान किए गए वजीफे के 25% तक सीमित आंशिक वजीफा सहायता, अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के बैंक खाते में भुगतान की जाती है। डीबीटी जुलाई 2023 से शुरू किया गया था।

यह योजना छोटे प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में शिक्षुओं के नामांकन को प्रोत्साहित करती है। पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई की संख्या 32,364 है, जिनमें से 4,102 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई का राज्यवार और वर्षवार आँकड़ा अनुबंध में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सभी श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षुओं को 1,500 रुपये प्रति माह का सरकारी अंशदान प्रदान किया जाता है।

(ख) शिक्षुता के दौरान प्रदान किया जाने वाला ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) प्रशिक्षुओं को उद्योग-तैयार होने में मदद करता है, जिससे नियोक्ताओं को संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार चुनने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का एक समूह मिलता है, हालाँकि अधिनियम उन्हें प्रशिक्षण के बाद की नियुक्ति में पूर्ण लचीलापन प्रदान करता है। हालाँकि, 2016-2020 की अवधि के लिए इस योजना का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जो दर्शाता है कि युवा इसे रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम मानते हैं। 91% ने महसूस किया कि कार्यक्रम ने रोजगार के लिए उनकी आत्म-योग्यता में सुधार किया है। उत्तीर्ण होने वालों में रोजगार दर पहले तीन महीनों में 41%, 6 महीनों के भीतर 64% और पूरा होने के 12 महीनों के भीतर 74% है। इसके अलावा, 89% ने महसूस किया कि शिक्षुता प्रशिक्षण स्व-रोजगार के लिए उपयुक्त है।

(ग) प्रथम वर्ष के वजीफे को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में शिक्षु के लिए औसत वजीफा दर 11,393/- रुपये है।

(घ) बेहतर यूआई/यूएक्स के साथ शिक्षुता पोर्टल का एक उन्नत संस्करण, एमएसएमई सहित प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण, पाठ्यक्रम चयन, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, संविदा जारी करना, प्रशिक्षण निगरानी, वजीफा प्रबंधन और मूल्यांकन अपलोड जैसी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु एक एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। इन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रशासनिक भार को कम करने के लिए, प्रतिष्ठान जिला-स्तरीय सहायक शिक्षुता सलाहकारों और पैनलबद्ध तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अनुबंध

दिनांक 08.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध का उत्तर

उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई के राज्यवार और वर्षवार आंकड़े

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26	कुल योग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		1	2	3	4	6	8
2.	आंध्र प्रदेश	103	259	341	282	300	260	772
3.	अरुणाचल प्रदेश		1	1	5	4	5	9
4.	असम	23	165	80	95	96	88	383
5.	बिहार	38	162	106	101	133	169	453
6.	चंडीगढ़	14	21	27	37	48	43	99
7.	छत्तीसगढ़	21	24	50	67	78	69	170
8.	दिल्ली	64	98	162	235	279	284	518
9.	गोवा	25	40	71	127	122	112	211
10.	गुजरात	2,978	3,270	3,294	3,524	3,578	2,891	7,936
11.	हरियाणा	970	1,263	1,765	1,640	1,579	1,199	3,349
12.	हिमाचल प्रदेश	49	119	200	213	219	189	412
13.	जम्मू और कश्मीर	9	113	181	124	125	126	438
14.	झारखंड	55	73	90	128	132	116	266
15.	कर्नाटक	161	406	529	631	848	859	1,811
16.	केरल	230	307	412	455	432	328	982
17.	लद्दाख	-	-	1	5	3	1	6
18.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	1	1
19.	मध्य प्रदेश	130	213	275	311	340	347	758
20.	महाराष्ट्र	1,887	2,167	2,570	2,898	3,147	2,765	7,091
21.	मणिपुर	2	2	3	1	1	3	10
22.	मेघालय	1	4	4	9	7	8	17
23.	मिजोरम		1	2	1	8	8	12
24.	नागालैंड	1	1	3		3	5	10
25.	ओडिशा	52	89	179	149	154	130	407
26.	पुडुचेरी	8	22	26	38	41	38	79
27.	पंजाब	73	129	221	247	235	249	577
28.	राजस्थान	89	118	198	293	345	372	643
29.	सिक्किम	1	12	8	14	28	20	44
30.	तमिलनाडु	215	401	701	709	829	759	1,765
31.	तेलंगाना	122	327	326	311	347	358	882
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	22	25	27	48	56	51	83
33.	त्रिपुरा	10	13	9	11	14	13	48
34.	उत्तर प्रदेश	654	1,239	2,040	1,263	1,766	1,399	4,102
35.	उत्तराखंड	84	134	200	263	334	332	520
36.	पश्चिम बंगाल	177	232	209	271	404	345	999
37.	**कुल योग**	**7,943**	**10,938**	**13,399**	**13,172**	**14,342**	**12,163**	**32,364**

स्रोत: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

*****